न्यायलय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी-5702/2018/राजगढ/भू.रा.

प्रकरण कमांक /2018 पुनरीक्षण

मोहनलाल वर्मा पुत्र श्री भेरूलाल, आयु 58साल,

निवासी वार्ड कमांक 2 सोमवारिया, खिलचीपुर,

तेहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ,

-- आवेदक

वनाम

म0प्र0शासन -- अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

विरूद्ध आदेश दिनांक 31/07/02018 पारित द्वारा अपर

कलेक्टर, राजगढ, प्रकरण कमांक 46/अ-19/अपील/2015

-16 खिचलीपुर वउनवान म0प्र0शासन वनाम गोपी आदि।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निगरानी–5702/2018/राजगढ़/भू.रा.

मोहनलाल वर्मा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री जितेन्द्र त्यागी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–राजगढ़ प्रकरण क्रमांक 46/अ–19/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31–07–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17.5.19 सदस्य	